बरेली पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक 27.08.2025

थाना कैंट

थाना कैण्ट #bareillypolice द्वारा छेड़छाड़ के दो शातिर अभियुक्तों को एक मोटर साईकिल सहित किया गया गिरफ्तार।

घटना का सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.08.2025 को बंदायू रोड पर स्कूल से 14 वर्ष की नाबालिक लडकी को घर स्कूटी से जाते समय 02 मोटरसाइकिल पर सवार युवकों द्वारा पीछा करने व रास्ता रोक कर छेडछाड करने के सम्बन्ध में लडकी के पिता की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कैंट पर म0अ0सं0 461/2025 धारा 126(2)/74/78/352/35(3) बीएनएस व 9(g)/9(l)/10 पॉक्सो एक्ट बनाम मोटरसाइकिल (नं0 UP 24 BB 3618) व एक अन्य मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 22.08.2025 को पंजीकृत होकर थाना स्तर पर अभियोग की घटना के अनावरण व अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

सूचना पुलिस टीम व कार्यवाही –

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम थाना प्रभारी कैंट के नेतृत्व में थाना कैंट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.08.2025 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को लाल फाटक पुल के नीचे शराब भट्टी के पास आवश्यक बल प्रयोग कर एक मोटरसाइकिल (न0 यूपी 24 बीबी 3618) के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों द्वारा अपने नाम क्रमशः 1- शोएब पुत्र रईस अहमद उम्र 24 वर्ष निवासी अन्धरा थाना वजीरगंज जनपद बंदायू 2- आशिफ पुत्र यूनुस उम्र 23 वर्ष निवासी अन्धरा थाना वजीरगंज जनपद बंदायू बताया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ एवं अभियुक्त गण का विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त गण शोएव व आशिफ उपरोक्त द्वारा बताया गया कि हम ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं तथा घटना का इकबाल करते हुए बताया कि दिनांक 20.08.2025 को मैं अपने साथियो के साथ आला हजरत उर्स बरेली से अपने गांव अन्थरा थाना वजीरगंज जनपद बंदायू जा रहे थे, हम लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे। रास्ते में रामगंगा पुल के पहले दिन के समय में एक लडकी स्कूटी से जा रहीं थी, उसका पीछे करते हुए रास्ते में रोक कर हम सभी नें छेडछाड की थी। हमसे गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः-

1 -शोएब पुत्र रईस अहमद उम्र 24 वर्ष निवासी अन्धरा थाना वजीरगंज जनपद बंदायू।

2 - आशिफ पुत्र यूनुस उम्र 23 वर्ष निवासी अन्धरा थाना वजीरगंज जनपद बंदायू ।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगः-

म0अ0सं0 461/2025 धारा 126(2)/74/78/352/35(3)बीएनएस व 9(g)/9(l)/10 पॉक्सो एक्ट।

<u>बरामदगी -</u>

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नं0 UP 24 BB 3618

<u>पुलिस टीमः-</u>

उ0नि0 श्री भीष्म कुमार थाना कैंट जनपद बरेली।
उ0नि0 श्री बोबी कुमार थाना कैंट जनपद बरेली।
हे0का0 663 सन्दीप कुमार थाना कैंट जनपद बरेली।
हे0का0 785 साजिद खांन थाना कैंट जनपद बरेली।
का0 267 नितिन कुमार थाना कैंट जनपद बरेली।